# राजस्थान सरकार
## आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./चारा/2009–10/ 54-02-445 जयपुर, दिनांक 29.6.10

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़।

विषयः– अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त जिलों में संचालित पशु संरक्षण गतिविधियों के संबंध में।

महोदय,

इस विभाग के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में पशु संरक्षण गतिविधियां (गौशाला, पशु शिविर, चारा डिपो, पशु आहार, पशु चिकित्सा आदि) संचालित रखने की अवधि को, राज्य सरकार द्वारा 15 जुलाई, 2010 अथवा मानसून आने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

कृपया अपने जिले में तद्नुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ठ सहायक,सबंधित जिला प्रभारी मंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर।,
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
11. प्रबन्ध संचालक, राज0 राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, राज0, जयपुर/प्रबन्ध संचालक, राज0 क्रय–विक्रय संघ, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
14. अध्यक्ष, राज0 गौसेवा आयोग, जयपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
16. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव